UPRN010039432026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–15 (बलात्संग/पाक्सो एक्ट)

कानपुर देहात

उपस्थितः– सुरेन्द्र सिंह– III.....उच्चतर न्यायिक सेवा(H.JS.)

J. O. CODE NO.–UP 1610

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1523/2026

अजीत गौतम पुत्र दिनेश गौतम उम्र करीब 27 वर्ष

निवासी ग्राम– गोगूमई, थाना– चौबेपुर, जिला– कानपुर नगर। .....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्ष/अभियोजन पक्ष

अ०सं०–155/2026

धारा–137(2),87,64(2)(एम)

भा०न्या०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट

थाना– चौबेपुर, कानपुर नगर।

<u>जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण</u>

आवेदक/अभियुक्त अजीत गौतम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1523/2026, अ०सं०–155/2026, धारा–137(2),87,64(2)(एम) भा०न्या०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट, थाना– चौबेपुर, कानपुर नगर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। पीड़िता विगत कई माह से प्रार्थी/अभियुक्त अजीत गौतम को हैरान व परेशान कर रही थी, झूठे मुकदमें में फँसाने की धमकी दे रही थी। अजीत का विवाह भी तय हो गया था। पीड़िता द्वारा अजीत पर दबाव बनाकर विवाह को तुड़वा दिया गया और कहा कि अगर विवाह किया तो धारा–376 आई.पी.सी. के मुकदमें में जेल भिजवा देगें। किसी भी दशा में दूसरे का पति मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। इसके पूर्व भी पीड़िता द्वारा कई बार अजीत के घर पर आकर इस बात कर दबाव बनाया गया, जिसकी सूचना शपथकर्ता द्वारा पीड़िता के पिता एवं ग्राम के प्रधान आदि को दी गई थी। पंचायत में यह निर्णय हुआ था कि एक–दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेगा। परन्तु पीड़िता इस बात पर सहमत नहीं हुई। पीड़िता मेडिकल व्यवसाय में है। इसलिए उसे तथ्यों की पूरी जानकारी है। जबकि इसके विपरीत प्रार्थी/अभियुक्त बहुत अधिक पढ़ा–लिखा व्यक्ति नहीं है। पीड़िता उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। पीड़िता स्वयं प्रार्थी को अपने साथ रहने हेतु विवश कर रही थी। पीड़िता ने प्रार्थी/अभियुक्त के साथ बलपूर्वक मन्दिर में विवाह किया, जिससे उसके परिवारीजन उससे धर्म विपरीत होने के कारण बुराई मान गये। पीड़िता मुस्लिम समाज से है, इस कारण पीड़िता के परिवार पर मुस्लिम समाज का दबाव हैं। यही कारण था कि दोनों परिवारों द्वारा बैठकर निर्णय लिया गया था कि समाज में किसी प्रकार की कोई जग–हसाई न हो, पीड़िता का विवाह कहीं अन्य कर दिया जाये और प्रार्थी/अभियुक्त का कहीं अन्य। परन्तु पीड़िता इस बात पर

सहमत नहीं हुई। प्रार्थी/अभियुक्त के पास कोई भी धनराशि नहीं थी। पीड़िता नौकरी करती है। उसके द्वारा जो धनराशि अर्जित की गई थी, उसी धनराशि को पीड़िता द्वारा जब प्रार्थी/अभियुक्त को अपने साथ ले जाया गया, उसी से अपना मध्यकाल का जीवन यापन किया। जब पीड़िता के पिता द्वारा थाना चौबेपुर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, उस दौरान विवेचक ने प्रार्थी/अभियुक्त से संपर्क करने का प्रयास किया, परन्तु पीड़िता द्वारा रोका गया। पुलिस के दबाव के बढ़ने पर किसी प्रकार से संपर्क करने पर प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता के साथ वापस आया। पीड़िता ने अपना कोई भी मेडिकल नहीं कराया है। मेडिकल कराने से मना कर दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त का न्याय प्रिय व्यक्ति है। कानून में आस्था रखता है। न्यायालय द्वारा यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए न्यायालय में किसी भी तिथि पर अनुपस्थित नहीं होगा और न ही किसी प्रकार से मुकदमें की विवेचना को प्रभावित करेगा, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य किसी न्यायालय में न तो दाखिल किया है, न ही विचाराधीन है और याचना की गयी है कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्र०पत्र स्वीकृत कर जमानत पर रिहा किया जावे।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अपराधी व्यक्ति है, जिसके द्वारा कथित उपरोक्त अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त जमानत प्रा०पत्र, केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अजीत गौतम पर वादी मुकदमा रहीम अली की नाबालिग पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग (17) को उसकी विधिक संरक्षकता से ले जाने के उपरान्त पीड़िता के साथ विवाह करने व पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हुए जबरन बलात्संग कारित किये जाने का आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त पक्ष पर आक्षेपित आरोप की पुष्टि पीड़िता द्वारा अपने कथनों में की गयी है। पीड़िता ने कथन किया है कि मेरे उम्र 17 वर्ष 4 माह है। मैं गोगूमऊ, थाना– चौबेपुर, कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मै इण्टर तक पढ़ी हूँ। मै दिनांक– 06.05.2026 को अपने दोस्त अजीत गौतम पुत्र दिनेश गौतम निवासी– गोगूमऊ के साथ घूमने गुजरात अपनी मर्जी से चली गयी थी। वहां पर हम लोगों ने किराये पर रूम लेकर एक महीने तक रहे। वहां पर हम दोनो पति–पत्नी की तरह रहे थे। यह भी कथन किया है कि हम दोनों ने दिनांक– 06.05.2026 को हनुमान मन्दिर चौबेपुर कानपुर नगर में शादी की है। हम दोनों पति–पत्नी की तरह रह रहे थे तथा आपस में दो बार शारीरिक सम्बन्ध बने थे।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत में यह आधार लिया गया है कि पीड़िता एक पूर्ण शिक्षित बालिका है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, परन्तु अभिलेखों में उसकी उम्र कम लिखाई गई है। मुस्लिम समुदाय से है। पीड़िता बालिग है। परन्तु मामले की केस डायरी संख्या– 3 के पृष्ठ संख्या–3 पर अवलोकन पीड़िता हाईस्कूल अंकपत्र में पीड़िता की जन्मतिथि 01.01.2009

अंकित है। अर्थात् कथित घटना दिनाँक– 06.05.2026 को पीड़िता की आयु 17 वर्ष 04 माह 05 दिवस थी, इस प्रकार कथित घटना के समय पीड़िता स्पष्ट रूप से नाबालिग थी।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत में यह आधार लिया गया है कि अपने परिवार के दबाव में धारा–183 BNSS का बयान अंकित कराया है, जिसमें भी प्रार्थी/अभियुक्त पर किसी प्रकार का आरोप भगा ले जाने का अथवा अन्य का नहीं लगाया है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का है, जब कि पीड़िता मुस्लिम समाज से है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने घर का एकमात्र पुत्र संतान है, जो अपने परिवार का भरण–पोषण मेहनत मजदूरी कर करता है। उक्त मुकदमें के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त पर कभी भी कोई भी किसी प्रकार के अपराध का आरोप नहीं है, सीधा–सादा कानून पसंद व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त को गाँव की रंजिश एवं धर्म विरोध होने के चलते फँसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार से पीड़िता को ले जाने, ले आने का अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा–87 BNS का आरोप नहीं बनता है, क्योंकि प्रार्थी पीड़िता को नहीं ले गया और न ही बहला–फुसलाकर उसे भ्रमित किया है। पीड़िता स्वयं स्वेच्छा से अपने घर से गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा–64 (2) (एम) BNS का अपराध नहीं है, क्योंकि पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न तो जोर दिया गया, न ही किसी प्रकार की जबरदस्ती की और न ही उसके साथ बलात्संग किया गया है। गाँव की रंजिश के चलते प्रार्थी पर उक्त मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थी पर धारा–5 (एल)/6 पॉस्को अधिनियम का भी अपराध नहीं है, क्योंकि पीड़िता मुस्लिम समाज से है, वयस्क है। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई भी पीड़िता के साथ अपराध नहीं किया है। पीड़िता द्वारा स्वयं प्रार्थी को अपने साथ ले जाया गया। प्रार्थी को मना करने पर मुकदमें में फँसाने की धमकी दी। प्रार्थी/अभियुक्त पर जो आरोप धारा–137(2) BNS का लगाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध पीड़िता के साथ जाने, पीड़िता के साथ रहने एवं पीड़िता के किसी भी प्रकार शारीरिक शोषण एवं बहलाने–फुसलाने का कार्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। परन्तु मामले की पीड़िता ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह अभियुक्त के साथ गुजरात गयी थी तथा अभियुक्त ने पीड़िता से हनुमान मन्दिर में शादी कर ली व पति–पत्नी की तरह साथ रहे व अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दो बार शारीरिक सम्बन्ध भी बनाये थे। प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ तक पीड़िता द्वारा स्वेच्छया अभियुक्त के साथ जाने का कथन किया गया है, तो उस सम्बन्ध में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मामले की पीड़िता स्पष्ट रूप से नाबालिग है, जिसकी सहमति को विधिक सहमति नहीं माना जा सकता है।

अभियुक्त की तरफ से अपने जमानत प्रा०पत्र के समर्थन में मामले की पीड़िता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दाखिल क्रिमि० मिस० रिट पिटीशन संख्या–15217/2026 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, परन्तु उक्त रिट पिटीशन में क्या आदेश पारित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है और न ही उक्त रिट पिटीशन की अद्यतन स्थिति स्पष्ट की गयी है।

अभियुक्त की तरफ से अपने जमानत प्रा०पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, फिजा व अन्य बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एस०सी०टी० ऑफ दिल्ली व अन्य W.P. (CRL) 763/2022 की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

अभियुक्त की तरफ से अपने जमानत प्रा०पत्र के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्रीमती नाजिया खातून व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व तीन अन्य 2026 AHC

119799 में पारित आदेश की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिस उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित मामले की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में उल्लिखित धारायें, धारा– 320 दं०प्र०सं० के अनुसार शमनीय प्रकृति की नहीं हैं तथा इस न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियों के उपयोग का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

हाजा थाना द्वारा उक्त जमानत प्रा०पत्र के सन्दर्भ में आख्या प्रस्तुत की गयी है कि अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग करेगा और जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की स्थिति में, अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ व पीड़िता को परेशान करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण की पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा कारित घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ किये जाने की सम्भावना विद्यमान पायी जाती है।

अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व उसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई भी औचित्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण के गुण–दोष पर कोई भी राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय के मत में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजीत गौतम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1523/2026, अ०सं०–155/2026, धारा–137(2),87,64(2)(एम) भा०न्या०सं० व धारा–5 एल/6 पॉक्सो एक्ट, थाना– चौबेपुर, कानपुर नगर तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह– III)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–15
(बलात्संग/पाक्सो एक्ट), कानपुर देहात

दिनाँक–18.07.2026

Digitally signed by SURENDRA SINGH III
Date: 2026.07.18 15:57:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court